

प्रेषक,

प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कालेज,  
आजमगढ़।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 953 / कैम्प / रा0मे0का0आ0 / 2023

दिनांक-06/10/2023

विषय:-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं परितोष) अधिनियम-2013 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में नियमानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन किये जाने के संबंध में

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-एम0ई0-1/2023/3556, लखनऊ, दिनांक-29/09/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित वाद-Civil Appeal No. 2482/2014, Aureliano Vs State of Goa & Ors में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं परितोष) अधिनियम-2013 के संबंध में अपेक्षित सूचना मांगी गयी है।

अतः उक्त के अनुपालन में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	विवरण	हाँ	नहीं	टिप्पणी
01	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में अधिनियम 2013 की धारा-4 के अनुरूप नियमानुसार आंतरिक परिवाद समितियां गठित है?	हाँ (संलग्नक-01)	-	-
02	क्या उपरोक्तानुसार गठित आंतरिक परिवाद समितियों में नाम निर्दिष्ट पीटासीन अधिकारी एवं सदस्यों के ई0-मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, संगत नियमों, उप-नियमों तथा आंतरिक पालिसी इत्यादि का विवरण आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है?	हाँ	-	-
03	क्या शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से संबंधित सभी संविधिक निकायों यथा-डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय-व्यय लेखकार, इंजिनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञों की विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स के द्वारा अधिनियम -2013 के प्राविधानों के अनुरूप आंतरिक परिवाद समितियां का गठन करते हुये उसका विवरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है?	हाँ	-	-
04	क्या आपके विभाग के अधिकारियों/प्रबंधकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को नियमानुसार संपादित किये जाने के विषय से अवगत कराया गया है?	हाँ	-	-
05	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ गठित समस्त आंतरिक परिवाद समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम-2013 एवं संगत नियमों के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरंतर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है?	हाँ	-	-

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



प्रधानाचार्य,  
राजकीय मेडिकल कालेज,  
आजमगढ़।

आंतरिक परिवाद समिति संदर्भ  
कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं०. 05463-235020, फैक्स नं०-05463-235194,  
वेबसाइट-[www.gmcazamgarh.com](http://www.gmcazamgarh.com)

पत्रांक: 1324 / रा०मे०का०आ० / कैम्प / 2023,

दिनांक-05.10.2023

कार्यालय आदेश

मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित वाद-Civil Appeal No. 2482/2014, Aureliano Vs State of Goa & Ors में मा० न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र० के कार्यालय पत्रांक-एम०ई०-1/2023/3556, लखनऊ, दिनांक-29/09/2023 के प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अंतर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों हेतु आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है-

क्र०सं०	नाम	विभाग का नाम	पदनाम	मोबाईल नं०	ई०-मेल आई० डी०
01	डा० मनीषा उपाध्याय	एनॉटमी विभाग	पीठासीन अधिकारी / अध्यक्ष	7991887799	manishaup73@gmail.com
02	डा० मधु यादव	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	सदस्य	9792500418	madhuyadav1981@yahoo.co.in
03	डा० प्रतीक्षा श्रीवास्तव	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	सदस्य	9565401915	pratikshasrivastava03@gmail.com
04	श्रीमती अनीता मैरल	उपचारिका	सदस्य	6393464380	anitamairal@gmail.com
05	श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	विधिक सलाहकार	सदस्य	8858490044	sri.ad.dk.81@gmail.com
06	श्री राधेश्याम गौतम	एन०जी०ओ० प्रतिनिधि	सदस्य	8009405727	radhey1963@gmail.com
07	सुश्री कमला पटेल	आशुलिपिक	सदस्य	7755895984	kmlapt1900@gmail.com

उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यों को इस आशय से कि संबंधित प्रकरण का निस्तारण विधिमान्य एवं निष्पक्षतः करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार


  
प्रधानाचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज,  
आजमगढ़।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
2. चिकित्सा अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3. उक्त समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने अधीनस्थ समस्त महिला अधिकारी एवं कार्मिक को आंतरिक परिवाद समिति के संबंध में सूचना प्रदान करें।
5. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से कि शासनादेश (महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 ) एवं उक्त आदेश को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करायें।
6. वार्डन, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से कि संबंधित सूचना बालिका छात्रावास एवं नर्सिंग हॉस्टल की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें।
7. समस्त अधिष्ठान, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से कि चिकित्सालय के समस्त कार्यस्थल पर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करायें।

  
प्रधानाचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज,  
आजमगढ़।